UPMO010066482026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) JO Code No-UP1895

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1895/2026

1– एजाद अली आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र मकसूद,
2– साऊद आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र मकसूद,
निवासीगण ग्राम–मिलक शम्भू वाली, देवापुर, थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद।
..... प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।
.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–298/2026,
धारा–191(2), 191(3), 190, 324(4),
352, 109(1), 351(3) बी0एन0एस0
व 4/25 आयुध अधिनियम,
थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद।

17.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी/अभियुक्तगण एजाद अली व साऊद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–298/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 324(4), 352, 109(1), 351(3) बी0एन0एस0 व धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा आशे अली द्वारा तहरीर सम्बन्धित थाने में दिनांक 07.06.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी के पिता ने 40 वर्ष पूर्व हाजी रिसायत पुत्र प्यारे व जाकिर पुत्र प्यारे से कृषि में जुताई हेतु 2 लाख रूपये हर साल के हिसाब से 54 बीघा जमीन ली थी, जिसे वह व उसका दोस्त कुंवरपाल काफी समय से जोतते आ रहे हैं, जिसका विवाद कोर्ट में भी

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.17 18:17:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चलता आ रहा है, जिसे लगभग 50 वर्ष हो गये हैं। उक्त भूमि में इस समय गन्ने की फसल थी। गांव के 7 लोग 1–एजाद अली, जिसके हाथ में तलवार थी, 2–गुफरान, जिसके के हाथ में तमंचा था, 3–साउथ, जिसके हाथ में भाला था पुत्रगण मकसूद व 4–अरमान, 5–फैसल, 6–फरमान, 7–फुरकान, जिनके हाथ में तमंचे थे पुत्रगण एजाद अली, ने आज दिनांक 06.06.2026 को समय करीब 03:00 बजे वादी मुकदमा की उक्त भूमि में खड़ी ईंख की फसल जोत दी। जब वह अपने खेत पर गया, तब उसकी सारी फसल जुती हुई थी। जब उसने उक्त लोगों से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सभी लोगों ने एकराय होकर उसे गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने अपनी जान गिर–पड़कर बचायी। उसकी व फायरिंग के शोर–शराबे की आवाज सुनकर गाँव के महेश पुत्र बाबुराम, रवि पुत्र रघुवीर, करन सिंह पुत्र भूकन, महेश पुत्र बाबूराम व 8–10 अन्य लोग आ गए। एजाद अली, साउथ, गुफरान पुत्र मकसूद व अरमान, फैसल, फरमान, फुरकान पुत्र एजाद अली मोके से तमंचा लहराते यह कहते हुये भाग गये कि, आज तो तू बच गया, लेकिन आइन्दा मौका देखकर तुझे व तेरे दोस्त को जान से मार देंगे। उक्त लोग भू–माफिया किस्म के व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर पूर्व में भी कई मुक़दमें दर्ज हैं, जिनका खौफ आम जनता में है। ये व्यक्ति आये दिन नये–से–नये विवाद पैदा करके लोगों में अपना खौफ पैदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक मकान पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है। उक्त लोग के माता–पिता 80–85 वर्ष के हैं। उक्त व्यक्ति वादी मुकदमा को मुक़दमे में फंसाने की कोशिश करते हैं। मुल्जिमान के पिता आज भी खेत पर मोके पर थे, जिन्हें पुलिस ने बुजुर्ग समझते हुये विवाद न करने हेतु समझा दिया। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण एजाद अली, गुफरान, साउथ, अरमान, फैसल, फरमान व फुरकान के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा–191(2), 191(3), 190, 324(4), 352, 109(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा–4/25 आयुध अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण ने ऐसी कोई घटना कारित नहीं की है, जैसा कि एफ०आई०आर० में दर्शाया है, घटना दिनाँक 06–06–2026 की समय 03:00 बजे की दर्शायी गई है, घटनास्थल से थाने की दूरी 04 कि०मी० है, जबकि एफ०आई०आर० दिनाँक 07–06–2026 को समय 02:24 बजे दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई कारण नहीं दिखाया गया है, उपरोक्त मुकदमें में 07 लोगों को नामजद किया गया है, प्रार्थीगण के हाथों से किसी के साथ भी मारपीट नहीं दिखायी गयी है, जो भी मारपीट दर्शायी गयी है, वह अन्य लोगों के द्वारा दर्शायी गयी है, तहरीर के आधार पर

उपरोक्त मुकदमा भूमि विवाद का है, जो कि राजस्व एवं दीवानी प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है, मुकदमें को रंगत देने के लिए उपरोक्त फर्जी घटना बनाकर एफ०आई०आर० पंजीकृत करायी है, घटना का जनता का कोई साक्षी नहीं है, जो भी साक्षी दर्शाये हैं, वह हितबद्ध साक्षी हैं, प्रार्थी एजाद अली के हाथ में तलवार व साऊद के हाथ में भाला दर्शाया गया है, जबकि किसी भी चुटैल को तलवार व भाला की कोई चोट नहीं है और न ही फायर की कोई चोट है, प्रार्थीगण के भविष्य को बर्बाद करने, उनकी जमीन हड़पने और दबाव बनाने के उद्देश्य से फर्जी घटना बनाकर प्रार्थीगण को नामजद किया गया है, प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में जो मुकदमा लिखा गया था, उसमें वह जमानत पर हैं, किसी अन्य मुकदमें में उन्हें सजा नहीं हुई है, प्रार्थीगण दिनाँक 08–06–2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध हैं। प्रार्थीगण जमानत पर छुटने के उपरान्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे, विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे, साक्ष्य या साक्षियों को प्रभावित नही करेंगे और न ही डरायेंगे–धमकायेंगे तथा न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि, अभियुक्तगण ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर आग्नेयास्त्र से फायर किये तथा उसकी फसल जोतकर रिष्टि कारित की है तथा उसे जान से मारने की धमकी दी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रश्नगत घटना दिनांक 06.06.2026 की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 07.06.2026 को दर्ज करायी गयी है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार वादी के पिता ने 40 वर्ष पूर्व हाजी रिसायत व जाकिर से कृषि हेतु 2 लाख रूपये हर साल के हिसाब से 54 बीघा जमीन ली थी, जिसे वह काफी समय से जोतते आ रहे हैं, जिसका विवाद कोर्ट में भी चल रहा है। उक्त भूमि में इस समय गन्ने की फसल थी। गांव के एजाद अली, जिसके हाथ में तलवार थी, गुफरान, जिसके के हाथ में तमंचा था, साऊद, जिसके हाथ में भाला था, अरमान, फैसल, फरमान व फुरकान, जिनके हाथ में तमंचे थे, ने दिनांक 06.06.2026 को समय करीब 03:00 बजे वादी की उक्त भूमि में खड़ी ईंख की फसल

जोत दी, जब वादी ने उक्त लोगों से कहा कि, आपने ऐसा क्यों किया, तो सभी लोगों ने एकराय होकर उसे गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे उसने गिर–पड़कर अपनी जान बचायी। शोर–शराबे की आवाज सुनकर गाँव के लोगों के आ जाने पर अभियुक्तगण वादी व उसके दोस्त को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, अर्थात प्रश्नगत मामले में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की चोट कारित नहीं हुई है। पत्रावली में संलग्न मजरूब आशे अली की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर दर्द की शिकायत की दो चोटें आना अंकित है। पत्रावली पर कोई भी ऐसी पूरक चिकित्सीय आख्या उपलब्ध नहीं है, जिसमें मजरूब की उपरोक्त चोटों को गम्भीर होना दर्शित किया गया हो। जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त साऊद से एक अवैध भाला व प्रार्थी/अभियुक्त एजाद अली से एक अवैध तलवार बरामद होने का प्रश्न है, उक्त बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण 08.06.2026 से जिला कारगार मे निरूद्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण एजाद अली व साऊद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–298/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 324(4), 352, 109(1), 351(3) बी0एन0एस0 व धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को मुबलिग 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)–प्रार्थी/अभियुक्तगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेंगे।

(ii)–प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

(iii)–प्रार्थी/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेंगे।

(iv)–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986

सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
17.06.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।